कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No.

क्रमांकः एफ–37/जेडीए/ले–आउट प्लान/2019/ दिनांक ::

श्री किशोर पुत्र श्री पप्पाराम,
निवासी–सुरपुरा, मण्डोर, जोधपुर।

विषय :–राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 102/8, 102/2 रकबा 09.05.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 102/8, 102/2 रकबा 09.05.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019 में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –

- जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में पहुँच मार्ग 60 फीट है जो समर्पित भूमि खसरा संख्या 102/7 में से उपलब्ध हो रहा है। उक्त की सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी।
- जोन चैकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 102/7 से पूर्व रिंग रोड से चिपती खसरा संख्या 101 की भूमि आती है जिसकी लम्बाई 60 फीट x 276 फीट है जो राजस्व जमाबंदी अनुसार राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। अतः उक्त भूमि का म्यूटेशन जे.डी.ए के नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही जोन स्तर पर की जानी होगी।
- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के क्रम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जानी अपेक्षित है।
- मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
- प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
- उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
- प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
- प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
- प्रार्थी नियमानुसार जोविप्रा से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाकर ही निर्माण करेगा।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त शर्तो की पूर्ति करते हुए आवश्यक संशोधन कर प्रश्नगत भूमि के ले–आउट प्लान की पांच प्रतिया बिन्दुवार पूर्ति कर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

25/7

निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांकः एफ–37/जेडीए/ले–आउट प्लान/2019/6417–18 दिनांक :: 25.07.2019

प्रतिलिपी :– वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. उपायुक्त उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

25/7

निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

29/7/19

26/7/19

REVISE PLAN ON KHASRA NO. 102/8 ,102/2 OF VILLAGE BASNI LACHA AT JODHPUR

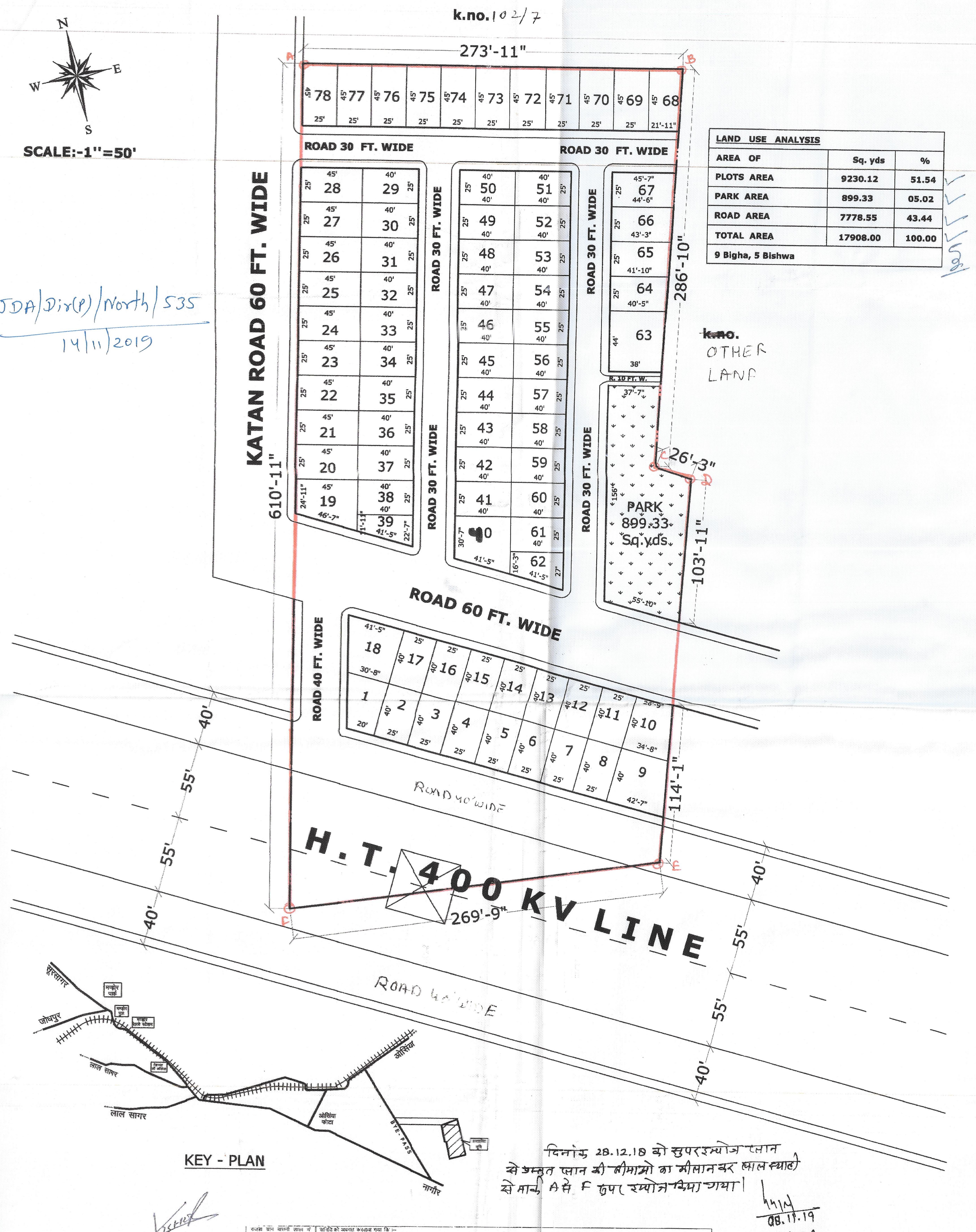

LAND USE ANALYSIS		
AREA OF	Sq. yds	%
PLOTS AREA	9230.12	51.54
PARK AREA	899.33	05.02
ROAD AREA	7778.55	43.44
TOTAL AREA	17908.00	100.00
9 Bigha, 5 Bishwa		

राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 102/8, 102/2 रकबा 09.05.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ योजना ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत।	समिति को अवगत करवाया गया कि :– • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में पहुँच मार्ग 60 फीट है जो समीपस्थ भूमि खसरा संख्या 102/7 में से उपलब्ध हो रहा है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 102/7 से पूर्व लिंक रोड से निजी खसरा संख्या 101 की भूमि आती है जिसकी लम्बाई 60 फीट X 276 फीट है जो राजस्व जमाबंदी अनुसार राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। • कटाण मार्ग की चौड़ाई समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। • आवेदित भूमि के दक्षिण से गुजर रही 400 के.वी की विद्युत लाईन की स्थिति लिया जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जानी अपेक्षित है।
आवेदक :– श्री किशोर पुत्र श्री पथाराम	समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में पहुँच मार्ग 60 फीट है जो समीपस्थ भूमि खसरा संख्या 102/7 में से उपलब्ध हो रहा है। उक्त की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जानी होगी। • जोन चैकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 102/7 से पूर्व लिंक रोड से निजी खसरा संख्या 101 की भूमि आती है जिसकी लम्बाई 60 फीट X 276 फीट है जो राजस्व जमाबंदी अनुसार राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। [illegible] नियमानुसार शुल्क लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही जोन स्तर पर की जानी होगी। • [illegible] व अन्य मे पारित निर्णय के कम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.) की 05/2019 की बैठक दिनांक 08.07.2019	• [illegible] 2015 के प्रावधानानुसार [illegible] जानी अपेक्षित है। • [illegible] जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत शपथ–पत्र लिया जावें कि [illegible] और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • [illegible] की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • [illegible] मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • [illegible] कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

11/11/19

11/11/19

11/11/19

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाड़ा, जोधपुर – 342001,
ईमेल – Jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट – Joda.rajasthan.gov.in
फोन नं. – 0291-2656357 फेक्स – 0291-2612086

क्रमांक :– एफ.49/90–क/जोन–06/2025–26/(राजकाज फाईल सं. 02668) दिनांक :– यथा हस्ताक्षर

किशोर पुत्र श्री पप्पाराम,
निवासी – सुरपुरा मण्डोर,
तहसील एवं जिला – जोधपुर।

विषय :– रहन रखे गये भूखण्डों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत **ग्राम – बासनी लाछा के खसरा संख्या – 102/8, 102/2 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा भूमि में** आवासीय योजना मे आपके द्वारा आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने पर प्राधिकरण स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट की अनुशंषा पर रहन रखे गये **भूखण्ड संख्या – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 कुल 09 भूखण्ड क्षेत्रफल 1062 वर्गगज** को रहन मुक्त किया जाता है।

उपायुक्त (जोन–06)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.02.24 12:10:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20717569